रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 1975/फाल्गुन 28, 1896

No. 64] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 1975/ PHALGUNA 28, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March 1975

G.S.R. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (a) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and sub-rules (1) and (4) of rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby re-appoints Shri R. N. Chopra, Special Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) as Chairman of the Board of Directors of the Food Corporation of India, with effect from the 19th July, 1974.

[No. F. 4-4/73-FC-I]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1975

सा० का० नि० 152(अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के साथ पठित उपधारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1966 के नियम 3 के उप नियम (1) और (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर० एन० खोपड़ा, विशेष सचिव, भारत सरकार, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) को भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 19 जुलाई, 1974 से पुनः नियुक्त करती है।

[सं० फा० 4-4/73-एफ० सी० 1]

एल० सी० गुप्ता, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975